न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 31/2024

1. विनोद कुमार पुत्र देवीलाल बिश्नोई निवासी झाम्बर तहसील व जिला हनुमानगढ़

अपीलांट

बनाम

1. हरपत पुत्र सोहन लाल बिश्नोई निवासी झाम्बर तहसील व जिला हनुमानगढ़
2. भूपराम पुत्र सोहन लाल बिश्नोई निवासी झाम्बर तहसील व जिला हनुमानगढ़
3. रामचंद्र पुत्र सोहन लाल बिश्नोई निवासी झाम्बर तहसील व जिला हनुमानगढ़
4. रामकुमार पुत्र सोहन लाल बिश्नोई निवासी झाम्बर तहसील व जिला हनुमानगढ़
5. भागवंती पत्नी सोहन लाल बिश्नोई निवासी झाम्बर तहसील व जिला हनुमानगढ़

रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध निर्णय बअदालत तहसीलदार हनुमानगढ़ दिनांक 25.11.2011, धारा 48/53 मु नं. 53/2011 में खाता विभाजन किया है, को निरस्त करवाने हेतु।

उपस्थितः— 1. श्री बलराम भिड़ासरा अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री देवीलाल भाम्भु अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स।

—:निर्णयः—

दिनांकः—16.05.2025

अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि चक 6 एसएसडब्ल्यू में जमाबंदी 2065—68 में हरपत राम आदि व सुलोचना आदि के नाम से संयुक्त खाता में 11.137 है. जमीन थी जिसमें 1.90 है. रास्ता था। कि अपीलांट व रेस्पोडेंट ने दिनांक 8.11.2002 को आपसी सहमति से 100 रूपये के स्टाम्प पर रास्ता की भूमि का तबादला लिखा था जिसमें नजरी नक्शा भी बना हुआ है। उसके मुताबिक प नं 159/288 मु. नं 68 के किला नं. 24 भाग ए से बी जमीन रास्ता के लिए रेस्पोडेंट के लिए छोड़ थी और उसके बदले में किला नं. 24 की 4 बिस्वा जमीन रेस्पोडेंट ने अपीलांट को दे दी थी। दिनांक 17.11.2011 को अपीलांट के परिवार व रेस्पोडेंट ने आपसी सहमति से खाता तकरीम करवाने के लिए तहसीलदार के पेश की थी जिसमें रेस्पोडेंट ने अपीलांट के हिस्सा की जमीन में 0.130 हैक्टेयर रास्ता लिखा दिया व रेस्पोडेंट ने अपनी भूमि में कोई रास्ता नहीं दिखाया। अपीलांट व परिवार वालों ने इस बाबत पूछा तो कहा कि आपको 4 बिस्वा जमीन रास्ते के बदले में दे रखी है, बाकी जगीन और दे देंगे। रेस्पोडेंट ने अपीलांट को विश्वास में लेकर धोखा देने की नीयत से अपीलांट के हिस्से की जमीन में 0.190 हैक्टेयर रास्ता दर्ज करवा दिया और गुपचुप तरीके से राजस्व रिकार्ड में भी अंकन करवा लिया। अपीलांट को इस बाबत पता नहीं लगने दिया व अपीलांट को 1/2 हिस्से की जमीन काश्त करने के लिए दे रखी थी। दिनांक 20.5.2024 को रेस्पोडेंट ने सीमाज्ञान के जरिये हलका पटवारी से मिल कर रेस्पोडेंट को जो जमीन रास्ते के बदले में दे रखी थी, वो मुताबिक जमाबंदी अपने नाम होने के कारण अपने हिस्से मुताबिक कब्जा कर ली जिससे अपीलांट की जमीन कम हो गई। अपीलांट को इसका पता चला तो हलका पटवारी से पैमाइश होने की नकल ली व दिनांक 5.7.2024 को खाता विभाजन के फैसले की नकल ली तब अपीलांट को पता चला कि उन्होंने ये सारी कार्यवाही गुपचुप तरीके से करवा कर अपीलांट की जमीन हड़प ली है। अपीलांट ने रेस्पोडेंट को कहा कि आपने हमारी जमीन हटवा दी तो कहा कि हमने तो ठगी

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

मार कर आपसे जमीन लेनी थी. वो ले ली व कब्जा छोड़ने से इन्कार हो गए। निर्णय तहसीलदार दिनांक 25.11.2011 खिलाफ कानून व खिलाफ रिकार्ड के है इसलिए अपीलांट ने ये अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश की है। अतः अपील धारा 225 आरटीए के तहत पेश कर निवेदन किया कि उक्त अपील वाद जांच व सुनवाई कर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.11.2011 को निरस्त करने की कृपा करें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट सं0 01 ता 05 और से श्री देवीलाल भाम्भू उपस्थित आए। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन रिकार्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावे तथा चुनौतीधीन इंतकाल संख्या–285 दिनांक 30.01.2006 खारिज फरमाया जावे एवं मुताबिक वसीयत अपीलाधीन आराजी 1.338 हैक्टेयर के 1/2 हिस्सा यानि 0.569 हैक्टेयर आराजी का इंतकाल मुताबिक आदेश अदालत मातहत दिनांक 30.01.2006 अपीलांट्स के नाम दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 ता 05 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के कथन को दोहराते हुए कथन किया की अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.11.2011 अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर उनकी पूर्ण सहमती में पारित किया गया है जिसकी जानकारी अपीलांट को आदेश के दिनाक से रही है तथा आदेश दिनांक 17.11.2011 की पालना में राजस्व रिकार्ड में खाता अलग कायम होने के बाद अपीलांट द्वारा अलग हुये खाता पर के.सी. सी बनवाई है तथा अपीलांट ने प्रश्नगत कृषि भूमि का आगे बेचान कर दिया है जो राजस्व रिकार्ड से सावित है इस प्रकार अपील अपीलांट संधारण योग्य नही है तथा कतई मियाद बाहर होने से काविल खारिजी के है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपील अपीलांट संधारण योग्य नही होने तथा कतई मियाद बाहर होने से मय खर्चा खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया और उद्घृत न्यायिक नजरों पर मनन किया गया।

1. प्रकरण में प्रथमतः विलम्ब के बिन्दू का निस्तारण किया जाना है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम 1963 का अवलोकन किया, इसमें अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 12.07.2024 के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम में अपीलांट द्वारा कब व किसके द्वारा नामान्तरण की जानकारी हुई अंकन नहीं किया है, केवल अनुमान के आधार पर अंकन किया है। माननीय नजीर न्यायालय द्वारा समय–समय यह मत प्रतिपादित किया है कि विलम्ब माफी हेतु दिन–प्रतिदिन विलम्ब का कारण स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम में भी नामान्तरण के बारे में कब, कैसे पता चल स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया है। उक्त आदेश 2011 से 2024 तक बारह वर्ष देरी से प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट द्वारा आपसी सहमति एवं रजामंदी से विनिमय/ विभाजन हेतू स्वयं के हस्ताक्षरीत प्रार्थना पत्र पेश करने पर ही उक्त ईन्तकाल दर्ज किया गया है ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित प्रतीत नहीं होता कि अपीलांट को प्रश्नगत विभाजन आदेश दिनांक 25.11.2011 की जानकारी नहीं हों।

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

इस प्रकार अपीलाधीन खाता विभाजन के लगभग 12 वर्ष 07 माह का समय व्यतीत होने के बाद अपील प्रस्तुत करना मियाद बाहर है, अवधि में छूट पाने का हकदार नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट मियाद अवधि से बाहर होने के कारण खारिज की जाती है। तहसीलदार (भू.अ.) हनुमानगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 53/2011 में जारी आदेश दिनांक 25.11.2011 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़